न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट
जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री गोविन्द सिंह आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 27 / 2023
किस्म :– **प्रार्थना–पत्र**
दायर दिनांक : 10.07.2023 **निर्णय दिनांक** : 15.01.2025

अनवान

1. मांगूसिंह पिता गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी डिंगरोल, तहसील आमेट जिला राजसमंद

.....प्रार्थी

बनाम

1. मोहनसिंह पिता लक्ष्मणदान जाति चारण निवासी डिंगरोल, तहसील आमेट जिला राजसमंद
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब आमेट जिला राजसमंद

विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता

प्रार्थी की ओर से :– **अधिवक्ता शराफत हुसैन**
विपक्षी सं. 01 की ओर से :– **एकपक्षीय**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम डिंगरोल, पटवार हल्का दोवडा, तहसील सरदारगढ़, जिला राजसमन्द में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि जिसके वर्तमान खाता सं. नया 247, पुराना 237 है, आराजी नं. 209, 210, 215, 216 कुल किता 4 कुल रकबा 1.6050 हैक्टर भूमि स्थित है। विपक्षी संख्या 1 जो प्रार्थी का उक्त वर्णित भूमि का नजदीकी खातेदार कृषक है, जिसके भूमियों के पास होकर प्रार्थी की कृषि आराजीयात स्थित हैं। उक्त विपक्षी संख्या 1 ने अपने खातेदारी भूमियों के आगे अतिक्रमण करते हुए प्रार्थी की उक्त वर्णित कृषि आराजीयात में अतिक्रमण करते हुए मौके पर स्थित रास्ते आदि को बन्द करने की चेष्टा करते हुए लगातार काटेंदार बाड व पत्थर आदि डाल कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि में अनाधिकार प्रविष्ठ होते हुए बबुल के पेड आदि कटवा दिये। विपक्षी संख्या 1 ने गुण्डागर्दी के बल पर अनाधिकार चेष्टा करते हुए प्रार्थी की कृषि भूमियों में प्रवेश कर नुकसान कारित किया, जिसके सम्बन्ध में

न्यायालय सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी आमेट

थाना आमेट पर भी शिकायत दर्ज करवायी गई, किन्तु विपक्षी संख्या 1 आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होकर प्रार्थी की कृषि भूमियों में लगातार दुर्भावना पूर्वक अतिक्रमण पर हमेशा आमादा रहा है और प्रार्थी के खेतो व कुए पर आने जाने के रास्ते में भी लगातार व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैं। जबकि प्रार्थी हमेशा से विपक्षी संख्या 1 को समझाईश कर इस प्रकार के कृत्य नही करने को कहता चला आ रहा है, किन्तु विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थी की खातेदारी भूमियों में जबरदस्ती हडपने की नियत से अतिक्रमण करने की पूरी दुर्भावना से बदनियती कर ली है और जिसे वह प्रतिदिन अंजाम देने को आमादा हैं। विपक्षी संख्या 1 को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह प्रार्थी की पेरा संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमियों में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी उत्पन्न करें एवं किसी प्रकार से उपयोग उपभोग में बाधा रूकावट आदि उत्पन्न करें, ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उक्त वाद लाने व विपक्षी को कानून सम्मत प्रकिया अपना कर निषेधित कराने हेतु यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र माननीय आप न्यायालय में सादर प्रस्तुत हैं।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षी संख्या 1 सव्यय मय विशेष हर्जा खर्चा स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध इस प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित फरमायी जावें कि विपक्षी संख्या 1 प्रार्थी के उक्त वर्णित कृषि भूमियों में किसी प्रकार से प्रवेश न करें, अतिक्रमण नहीं करें, प्रार्थी के कब्जे काश्त के कार्यों में दखल अन्दाजी न करें, हस्तक्षेप न करें, उक्त प्रकार के कार्य न तो स्वयं करें और न ही अपने किसी नौकर एजेन्ट, मित्र, रिस्तेदार, कारीगर आदि से करावें। विपक्षी संख्या 2 प्रार्थी के पक्ष में न्यायालय द्वारा जारी होने वाले आदेश की पालना करावें। अन्य कोई दाद, वाद व्यय, वकील मेहनताना विपक्षी से प्रार्थी को दिलवाया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 बावजूद तामील न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 ने अपने खातेदारी भूमियों के आगे अतिक्रमण करते हुए प्रार्थी की उक्त वर्णित कृषि आराजीयात में अतिक्रमण करते हुए मौके पर स्थित रास्ते आदि को बन्द करने की चेष्टा करते हुए लगातार काटेंदार बाड व पत्थर आदि डाल कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि में अनाधिकार प्रविष्ठ होते हुए बबुल के पेड आदि कटवा दिये। विपक्षी संख्या 1 आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होकर प्रार्थी की कृषि भूमियों में लगातार दुर्भावना पूर्वक अतिक्रमण पर हमेशा आमादा रहा है। विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध इस प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित फरमायी जावें कि विपक्षी संख्या 1 प्रार्थी के उक्त वर्णित कृषि भूमियों में किसी प्रकार से प्रवेश न करें, अतिक्रमण नहीं करें, प्रार्थी के कब्जे काश्त के कार्यों में दखल अन्दाजी न करें, हस्तक्षेप न करें, उक्त प्रकार के कार्य न तो स्वयं करें और न ही अपने किसी नौकर एजेन्ट, मित्र, रिस्तेदार, कारीगर आदि से करावें।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

वादी अधिवक्तागण की बहस सुनी गई एवं प्रार्थना–पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम डिंगरोल, पटवार हल्का दोवडा, तहसील सरदारगढ़, जिला राजसमन्द मे स्थित खाता सं. नया 247, पुराना 237 के आराजी नं. 209, 210, 215, 216 कुल किता 4 कुल रकबा 1.6050 हैक्टर भूमि के संबंध में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि विपक्षी सं. 1 उक्त वर्णित भूमि का मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहें।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट

निर्णय आज दिनांक **15.01.2025** को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया ।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट, जिला राजसमन्द